संख्या- 3/2016 /जी-2-119/दस-2016-301/98टी0सी0-।

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2016

विषयः सार्वजनिक उपक्रम / निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान किए जाने विषयक शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, सार्वजनिक उपक्रम / निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण/निर्धारण की सुविधा प्रदान किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-4/2015/जी-2-25/दस-2015-301/98टी0सी0-।, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 के प्रस्तर-2 की अन्तिम पँक्ति में यह प्रावधान कि "जिन प्रकरणों में वेतन संरक्षण का लाभ वित्त विभाग की सहमति से पूर्व में अनुमन्य कराया जा चुका है उन्हें पुन: नहीं खोला जायेगा" को विलुप्त कर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"दिनांक 24 सितम्बर, 2015 से पूर्व की नियुक्ति के मामलों का निस्तारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-जी-2-359/दस-1998, दिनांक 12 जून, 1998 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा तथा दिनांक 24 सितम्बर, 2015 एवं उसके पश्चात हुई नियुक्तियों के मामलों का निस्तारण शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।"

2- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2016 /जी-2-119(1)/दस-2016-301/98टी0सी0-।, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम तथा द्वितीय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

http//shasanadesh.up.nic.in